संख्या-454/2018/मंत्री 392/नौ-5-2018-128बजट/2018

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 01 जनवरी, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झांसी की नगर पालिका परिषद, गुरसराय एवं नगर पंचायत, गरौठा नगर की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल परियोजना की प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(पीपीआरबीडी), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-239/1009/072-0001/पीपीआरबीडी/2018, दिनांक 22.06.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झांसी की नगर पालिका परिषद, गुरसराय एवं नगर पंचायत, गरौठा नगर की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल परियोजना की निर्धारित लागत रूपये 8324.27 लाख+जीएसटी (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** को अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से धनराशि को आहरित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(8) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

विजेन्द्र जोशी
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम
झांसी
16 MAR 2020

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से पी0एल0ए0/बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।

(14) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक"-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें"** डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-9-1002/दस-18, दिनांक 01 जनवरी, 2019 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

11/1/19

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-454/2018/मंत्री 392(1)/नौ-5-18-128बजट/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ/झांसी।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, गुरसराय/गरौठा।
8- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

11/1/19

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

विजेन्द्र जोशी
जूनियर इंजीनियर
निर्माण खंड उ0प्र0 जल निगम
झांसी
16 MAR 2019